वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 36

सरकारी कर्मचारियों को उधार, आदि

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी		*...*	*-170.00*	*-170.00*	*...*	*-150.00*	*-150.00*	*...*	*-135.00*	*-135.00*
जोड़		**...**	**-170.00**	**-170.00**	**...**	**-150.00**	**-150.00**	**...**	**-135.00**	**-135.00**
1. सरकारी कर्मचारियों को उधार, आदि										
1.1 गृह निर्माण अग्रिम	7610	...	175.00	175.00	...	129.17	129.17	...	129.17	129.17
1.2 मोटर वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	7610	...	149.25	149.25	...	165.46	165.46	...	165.46	165.46
1.3 अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	7610	...	4.75	4.75	...	4.01	4.01	...	4.01	4.01
1.4 कम्प्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	7610	...	28.25	28.25	...	59.35	59.35	...	59.35	59.35
1.5 अन्य अग्रिम	7610	...	2.75	2.75	...	2.01	2.01	...	2.01	2.01
	जोड़	*...*	*360.00*	*360.00*	*...*	*360.00*	*360.00*	*...*	*360.00*	*360.00*
2. घटाइए-दर्शायी गई प्राप्तियां जिन्हें घटा दिया गया है										
2.1 गृह निर्माण अग्रिम	7610	...	-280.00	-280.00	...	-290.00	-290.00	...	-300.00	-300.00
2.2 वाहन अग्रिम	7610	...	-240.00	-240.00	...	-210.00	-210.00	...	-160.00	-160.00
2.3 अन्य अग्रिम, आदि	7610	...	-10.00	-10.00	...	-10.00	-10.00	...	-35.00	-35.00
	जोड़	*...*	*-530.00*	*-530.00*	*...*	*-510.00*	*-510.00*	*...*	*-495.00*	*-495.00*
कुल जोड़		***...***	***-170.00***	***-170.00***	***...***	***-150.00***	***-150.00***	***...***	***-135.00***	***-135.00***

यह एक मिश्रित मांग है जिसमें सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों (जैसे चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आदि) की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने कर्मचारियों को उधार और अग्रिम दे सकें। इसमें संसद सदस्यों को मोटरवाहनों की खरीद के लिए अग्रिम दिए जाने का प्रावधान भी शामिल है।

जिन प्रयोजनों के लिए सब्याज उधार और अग्रिम दिए जाते हैं उनमें गृह निर्माण, वाहनों की खरीद, कम्प्यूटरों, पंखों तथा गर्म कपड़ों की खरीद शामिल हैं।

गृह निर्माण अग्रिमों के लिए प्रावधान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अधीन निधियों में अभिवृद्धि की तुलना में रखा जाता है।